ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9253 लखनऊ/दिनांक– 08-12-2021

विषयः–जनपद स्तर पर अत्यधिक प्रचलित धुआं रहित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उत्पाद पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003(सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या–टी0–20018/19/2019–एन0सी0डी0, दिनांक 28 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से जनपद में अत्यधिक प्रचलित 10 धुआंरहित तम्बाकू उत्पाद का सैम्पल (प्रत्येक उत्पाद का 50 ग्राम) की जांच हेतु निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश के ई–मेल दिनांक–20 सितम्बर, 2021 एवं 17 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रलि संलग्न), जिसके माध्यम से भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2021 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–अम्बेडकर नगर एवं मुरादाबाद द्वारा प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उपरोक्त द्वारा प्रेषित प्रत्येक सैम्पल जांच में निकोटिन की उपलब्धता पायी गयी है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उक्त जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय
Anupam 08/12/2021
निदेशक, स्वास्थ्य/
राज्य नोडल अधिकारी,
एन0सी0डी0, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–डा0 एल0 स्वास्तीचरन, एडीशनल डी0डी0जी0, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई–दिल्ली।
2–स्टॉफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3–उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4–जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–मुरादाबाद, अम्बेडकरनगर।
5–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–वाराणसी, फर्रूखाबाद, रामपुर, आगरा, मऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ एवं गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन जनपदों द्वारा 10 धुआंरहित तम्बाकू उत्पाद का सैम्पल (प्रत्येक उत्पाद का 50 ग्राम) निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित नहीं किया गया है, वह तत्काल पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सैम्पल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक–

विषयः–जनपद स्तर पर अत्यधिक प्रचलित धुआं रहित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उत्पाद पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003(सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या–टी0–20018/19/2019–एन0सी0डी0, दिनांक 28 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से जनपद में अत्यधिक प्रचलित 10 धुआंरहित तम्बाकू उत्पाद का सैम्पल (प्रत्येक उत्पाद का 50 ग्राम) की जांच हेतु निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश के ई–मेल दिनांक–20 सितम्बर, 2021 एवं 17 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रलि संलग्न), जिसके माध्यम से भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2021 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–अम्बेडकर नगर एवं मुरादाबाद द्वारा प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उपरोक्त द्वारा प्रेषित प्रत्येक सैम्पल जांच में निकोटिन की उपलब्धता पायी गयी है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उक्त जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीय

निदेशक, स्वास्थ्य/
राज्य नोडल अधिकारी,
एन0सी0डी0, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– राज्य राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9254–58 तद्दिनांक–

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1–डा0 एल0 स्वास्तीचरन, एडीशनल डी0डी0जी0, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई–दिल्ली।
2–स्टॉफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3–उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4–जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–मुरादाबाद, अम्बेडकरनगर।
5–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–वाराणसी, फर्रूखाबाद, रामपुर, आगरा, मऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ एवं गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिन जनपदों द्वारा 10 धुआंरहित तम्बाकू उत्पाद का सैम्पल (प्रत्येक उत्पाद का 50 ग्राम) निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कैन्सर प्रिवेंशन एण्ड रिसर्च, प्लाट नम्बर–17, सेक्टर–39, नोयडा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित नहीं किया गया है, वह तत्काल पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सैम्पल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।